अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण

डॉ. भागीरथमल
व्याख्याता – लोकप्रशासन विभाग
राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर

सारांश:-

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लिए रिक्तियों का आरक्षण क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत या भर्ती अर्थात सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा भर्ती के समय ऐसे आरक्षण के लिए प्रस्तुत सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।"

(2) पदोन्नति के लिए ऐसी आरक्षित रिक्तियां वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा भरी जावेगी ।

(3) ऐसी आरक्षित रिक्तियों को भरने में ऐसे पात्र अभ्यर्थियों पर, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्य है, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जावेगा जिस क्रम में उनके नाम सीधी भर्ती के लिए या पदोन्नति के लिये समिति द्वारा तैयार की गयी सूची में आये हैं, भले ही अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनकी आपेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(4) नियुक्तियां सर्वथा सीधी और पदोन्नति के लिए अलग–अलग विहित रोस्टरों के अनुसार की जायेगी। किसी वर्ष विशेष में अनुसूचित जाति या यथास्थिति, अनुसूचित जन जाति में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में उनके लिए ऐसी आरक्षित रिक्तिया सामान्य प्रक्रिया के अनुसार गरी जायेंगी और पश्चातवर्ती वर्ष में समतुल्य संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां आरक्षित रखी जायेंगी। ऐसी रिक्तिया जो इस प्रकार बिना भरी रह जाये पश्चात्वर्ती कुल तीन भर्ती वर्ष तक अग्रनीत की जावेंगी और तत्पश्चात् ऐसा आरक्षण व्ययगत हो जायेगा।

(5) अन्य पिछड़ी जाति के लिये रिक्तियों का 21 प्रतिशत पद आरक्षित होगा अथवा सीधी भर्ती लागू राज्य सरकार के आरक्षण सम्बन्धी आदेश के अनुरूप होंगे। किसी वर्ष विशेष में अन्य पिछड़ी जाति में योग्य एवं उपयुक्त प्रत्याशी उपलब्ध ना होने की स्थिति में ऐसी आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया अनुसार भरी जावेंगी।

अन्य प्रवर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण :-

(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों का कतिपय प्रतिशत राज्य सरकार कि नियम के अनुसार शारीरिक दृष्टि से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किया जावेगा और वे राजस्थान शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 1976 के उपबन्धों के अनुसार भरे जायेंगे।

(2) रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में वे अन्य उपबन्ध भी लागू होंगे जो राज्य सरकार में समय–समय पर विद्यमान हो।

रिक्तियों का अवधारण - इन नियमों के उपबन्धों और सरकार के निदेशों, यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए, पंचायत समिति या जिला परिषद् आगामी एक वर्ष की कालावधि के दौरान प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या और प्रत्येक रीति द्वारा भर्ती किये जाने के लिए संभाव्य व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष को अवधारित करेगी और समिति को सूचित करेगी।

राष्ट्रीयता : सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को भारत का सदभावी नागरिक होना चाहिए।

आयु : सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का अठारह वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और आवेदन प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम तारीख आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को तैतीस वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए।

परन्तु :–

(1) किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन जाति एवं महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की शिथिलता होगी और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी के लिए 2 वर्ष की शिथिलता होगी।

(2) भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा पचास वर्ष होगी ।

(3) पंचायतों के सचिवों के रूप में पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तीन वर्षो की अधिकतक सीमा के अधीन रहते हुए, पंचायत समिति के रूप में की गयी सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी ।

(4) विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :– उसे विधया होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र देना होगा और तलाकशुदा होने के मामले में तलाक का सबूत देना होगा।

(5) जो व्यक्ति किसी पंचायत समिति का किसी जिला परिषद के अधीन अपनी अस्थायी नियुक्ति के समय विहित आयु सीमा के भीतर थे, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा, पंचायत समिति या जिला परिषद के अधीन उनके द्वारा की गयी सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगा।

(6) ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो उसकी दोषसिद्धि से पूर्व किसी भी पद पर अधिष्ठायी आधार पर पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधीन सेवा कर चुका है और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था।

शैक्षिण अर्हता :– भर्ती होने वाले में निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए :–

1. कनिष्ठ लिपिक — टंकण के ज्ञान सहित सीनियर सैकेण्डरी
   (85 प्रतिशत सीधी भर्ती, 15 प्रतिशत पदौन्नति)

2. ग्रामसेवक एवं सचिव — सीनियर सैकेण्डरी और ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र में 6 मास के लिए प्रशिक्षत ।
   (100 प्रतिशत सीधी भर्ती)

3. प्राथमिक विद्यालय अध्यापक बी० एस० टी० सी० पाठ्यक्रम सहित सैकेण्डरी

(100 प्रतिशत सीधी भर्ती)

नोट :– भर्ती होने वाले ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे चाहे जिन्होने 1990 के पूर्व सैकेण्डरी या हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

4. ड्राइवर चालक अनुज्ञप्ति रखने वाला और हल्के /

(90 प्रतिशत सीधी भर्ती 10 प्रतिशत पदोन्नति) भारी मोटर यान चलाने का 3 वर्ष का

अनुभव रखने वाला 8वीं कक्षा उत्तीर्ण

5. चतुर्थ श्रेणी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण

(100 प्रतिशत सीधी भर्ती)

चरित्र :– सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, जिसमें उसने अन्तिम बार शिक्षा प्राप्त की थी, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से सच्चरित्र प्रमाण–पत्र और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से असम्बद्ध और ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हो, आवेदन की तारीख से छह से अनधिक मास पूर्व लिखे गये हो ऐसे प्रमाण–पत्र समिति को प्रस्तुत किये जाने चाहिऐ।'

नोट :– किसी न्यायालय के द्वारा की गयी किसी दोषसिद्धि मात्र के कारण अच्छे चरित्र प्रमाण–पत्र देने से इन्कार नहीं किया जायेगा। दोषसिद्ध की परिस्थियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उसमें कोई नैतिक अधमता या हिंसा के अपराधों के साथ या किसी ऐसे आन्दोलन के साथ जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक उपायों से उलटना है, सहबद्धता अन्तर्वलित न हो तो मात्र दोषसिद्धि को निरर्हता नहीं समझा जाने चाहिए।

शारीरिक योग्यता :– सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को अच्छे मानसिक और शारिरिक स्वास्थ्य का और सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में संभाव्यतः बाधा डालने वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए और नियुक्ति के लिए चयन हो जाने पर, चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

संयाचना :– भर्ती के लिये नियमों के अधीन अपेक्षित से भिन्न किसी भी लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यार्थिता के लिये ऐसे प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षतः समर्थन हेतु संयाचना का कोई भी प्रयत्न करने पर उसे भर्ती के लिए निरर्हित किया जा सकेगा।

सन्दर्भ सूची : –

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 धारा 78 (1)
2. उपर्युक्त, धारा 78 (2)
3. उपर्युक्त, धारा 79 (1)
4. उपर्युक्त, धारा 79 (2)
5. उपर्युक्त, धारा 80 (1)
6. उपर्युक्त, धारा 80 (3)